38

श्री मान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

ग/निग0/रीवा/2018/0750

राजस्व निगरानी क्र0 /18 Rs 40-

1- रजनीश कुमार उम्र 52 साल
2- वैदेही प्रसाद उम्र 47 साल } पुत्र गण राममिलन प्रसाद ब्रा0
3- रोहिणी प्रसाद उम्र 45 साल

सभी निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

..... आवेदक गण

विरूद्ध

विष्णु कुमार मिश्रा उम्र करीब 55 साल तनय स्व0 केशव प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम चौड़ियार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

.... अनावेदक

अधि0श्री के0पी0 पाण्डेय द्वारा पेश 30.01.18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध सीमांकन प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 8.1.2018 ई0 जो कि रा0प्र0क्र0 0049/अ-12/2017-18 मे राजस्व निरीक्षक तहसील गुढ़ द्वारा पारित किया गया है, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

1- यहकि आदेश विद्वान राजस्व निरीक्षक तहसील गुढ़ जिला रीवा दि0 8.1.2018 ई0 विधि विरूद्ध है, और निरस्त किए जाने योग्यहै ।

2- यह कि सीमांकन आदेश प्रमाणित करते समय विद्वान राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा इस बात पर विचार किए बिना कि सीमांकन करते समय बन्दोबस्त के समय स्थापित किए गए स्थाई सीमाचिन्हो की पहचान नही

30/1/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/750

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 49 अ–12/17–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 8–1–18 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 824/1, 824/2, 824/3 स्थित ग्राम चौडियार के सीमांकन का आवेदन दिया , जिस पर से राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ ने प्रकरण क्रमांक 49 अ–12/17–18 पॅजीबद्ध करके सीमांकन की सूचना मेढ़िया कास्तकारों को जारी कराई है। हलका पटवारी ने मौके पर दिनांक 6–1–18 को ग्रामीणों के समक्ष सीमांकन कार्य किया है तथा मौके पर उपस्थित पंचगणों के समक्ष पंचनामा तैयार किया है। पटवारी हलका नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन पर से राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन पर आपत्तिर्ता रजनीशकुमार वगैरह को सुना है एंव उनकी आपत्ति निरर्थक पाते हुये आदेश दिनांक 8–1–18 से आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित	

कर दी गई है। तहसील न्यायालय में आवेदक ने सीमांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है, परन्तु आपत्ति पर साक्ष्य एंव सुनवाई न करते हुये एकपक्षीय सीमांकन अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि भूमि सर्वे कमांक 824/1, 824/2, 824/3 स्थित ग्राम चौडियार का अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण इस भूमि का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक तहसील गुढ़ के प्रकरण कमांक 49 अ–12/17–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 8–1–18 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य